राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1,अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

क्रमांक एफ 7(2)(2)राछा/सान्यावि/18/ 33661 जयपुर, दिनांक 16/4/18

आदेश

विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय/महाविद्यालय स्तरीय राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिये 16 अप्रैल, 2018 से ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस संबंध में विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू है। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के संबंध में, सामान्य विस्तृत दिशा–निर्देश विवरण विभाग की वेबसाईट **http://sjms. rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है। **शैक्षणिक सत्र 2018–19 के प्रवेश प्रक्रिया से पूर्व कुछ दिशा–निर्देशों में संशोधन एवं नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे है, जिनकी पालना किया जाना अनिवार्य है :–**

1. इस वर्ष से छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में रह रहे पुराने आवासियों के लिए भी प्रवेश प्रक्रिया में आधार कार्ड अनिवार्य किया जा रहा है।
2. **गत शैक्षणिक सत्र 2017–18 में आवासीय विद्यालयों, राजकीय छात्रावासों एवं अनुदानित छात्रावासों (महाविद्यालय स्तरीय सहित) में ऑन लाईन प्रवेशित किये गये समस्त नये–पुराने छात्र–छात्राओं को प्रवेश पोर्टल पर जिन छात्रावास अधीक्षकों/वार्डनों द्वारा ज्वाईन (Joined) नहीं दिखाया गया है, उनको ज्वाईन (Joined) दिखाया जाना अत्यन्त आवश्यक है, ज्वाईन (Joined) नहीं दिखाये जाने की स्थिति में नवीन प्रवेश माने जावेगें,जो अव्यवहारिक होगा,अतः समस्त जिलाधिकारियों, प्रधानाचार्य आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास अधीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वो गत वर्ष 2017–18 में आवासीय विद्यालयो/राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासो में प्रवेश दिये गये समस्त छात्र–छात्राओं को पोर्टल खोलकर दिनांक 17.04.2018 तक ज्वाईन (Joined) दिखावे।**
3. जिन छात्र–छात्राओं ने छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में गत वर्षो में ऑनलाईन प्रवेश लिया है, लेकिन आधार नम्बर दर्ज करवाकर सत्यापित नहीं कराया गया है,उनके लिये पोर्टल में आधार नम्बर दर्ज करवाने का विकल्प खोला जा रहा है, अतः ऐसे छात्र–छात्राओं को चिन्हित किया जाकर उनके आधार नम्बर दर्ज करके सत्यापित **(Verified)** किया जायेगा।
4. आधार नम्बर नहीं होने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया को तदर्थ **(Provisonal)** माना जावेगा एवं आधार न. के लिए **Apply** किये जाने के उपरान्त प्राप्त ई.आई.डी. नम्बर पोर्टल पर दर्ज करवाना होगा तथा आधार नम्बर प्राप्त होते ही आधार नम्बर दर्ज करवाना होगा।
5. सभी छात्रावास अधीक्षकों एवं वार्डनों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018–19 के दौरान छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रवेश 80 प्रतिशत से अधिक किया जाना आवश्यक है। अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित छात्रावास अधीक्षक/वार्डन के विरूद्व सी.सी.ए.17/जिले से बाहर स्थानान्तरण की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के संबंध में समस्त जिलाधिकारियों, प्रधानाचार्य आवासीय विद्यालय, खण्ड सामाजिक सुरक्षा अधिकारीयों एवं छात्रावास अधीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ.समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

244

D:\work\06-02-2018 (I).doc

क्रमांकः एफ 7 (2)( ) रा.छा./सान्याअवि/17/ 33669-90 जयपुर,दिनांक 16/04/18

प्रतिलिपिः–

1.विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2.निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।

3.निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4.जिला कलक्टर,....................।

5.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,...................।

6.उप निदेशक/सहायक निदेशक/खण्ड सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,....................को भेजकर लेख है कि उक्त संशोधित आदेश की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

7.प्रधानाचार्य, राजकीय आवासीय विद्यालय (समस्त)..।

8.एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को तत्काल विभाग के समस्त जिलाधिकारियों/आवासीय विद्यालयों को ई.मेल. कराने की व्यवस्था करावें एवं टेक महिन्द्रा कम्पनी को प्रवेश के संबंध में संशोधित जारी दिशा–निर्देश के अनुसार विभागीय वेबसाईट पर आवश्यक संशोधन किया जाना सुनिश्चित करावे।

9.प्रभारी, टेक महिन्द्रा कम्पनी, मुख्यावास को सूचनार्थ प्रेषित है।

9.आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

D:\work\06-02-2018 (I).doc